राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान

सूचना सहायक भर्ती परीक्षा–2013

अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच व सत्यापन हेतु

मार्गदर्शिका

सूचना सहायक भर्ती परीक्षा–2013 प्रमुख चरण

- ऑनलाईन आवेदन
- लिखित परीक्षा
- टंकण परीक्षा
- दस्तावेजों का सत्यापन
- पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन
- चिकित्सीय परीक्षण
- पदभार ग्रहण

सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य–

- नियुक्ति पत्र जारी करना (दस्तावेज के सत्यापन की तिथि सहित)
- अभ्यर्थी का आवेदन पत्र, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र वैबसाइट पर उपलब्ध कराना
- अभ्यर्थी को सम्बन्धित विभाग में नियुक्ति के समय की जाने वाली औपचारिकताओं के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना।

सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के तहत सफल अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश

- नियुक्ति पत्र में उल्लेखित स्थान व समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र, पुलिस सत्यापन का Attestation Form तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का प्रारूप एवं सूची विभागीय वेबसाइट doitc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर लेवें।
- अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के दो सेट (स्वहस्ताक्षरित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित) एवं मूल दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन हेतु साथ लावें।
- अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला आवेदन पूर्ण भरा होना, आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये हुए एवं आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज संलग्न कर दिये हो, पुष्टि कर लें।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण आवेदन पत्र में अंकित है तथा दस्तावेजों के साथ एक इन्डेक्स का प्रारूप भी संलग्न किया गया है, इस इन्डैक्स में संलग्न किये दस्तावेजों का पृष्ठ संख्या अंकित करें तथा इन्डैक्स के अनुरूप ही पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए पत्रावली में संलग्न करें।

सम्बन्धित विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य

- दस्तावेजों का सत्यापन
- पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन
- चिकित्सीय परीक्षण
- अग्रिम नियुक्ति
- पदभार ग्रहण प्रतिवेदन सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग को प्रेशित करना

दस्तावेजों की *जाँच व सत्यापन के* प्रमुख चरण

1. दस्तावेजों की सामान्य गणना व प्राथमिक जाँच

2. दस्तावेजों का मूल के साथ मिलान

3. दस्तावेजों का सत्यापन

दस्तावेज सत्यापन समिति–

विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए। जिसमे निम्न प्रकार सदस्य होगे–

- विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी या उनका प्रतिनिधि (जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे के स्तर का ना हो)
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)
- लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी

दस्तावेज जॉच समिति के कार्य

- **अभ्यर्थी का सत्यापन** – अभ्यर्थी के सत्यापन समिति के समक्ष उपस्थित होने पर सर्वप्रथम अभ्यर्थी की फोटो का मिलान परीक्षा हेतु आवेदन के समय अपलोड की गई फोटो से कर पुष्टि करें कि सही अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुआ है। अभ्यर्थी की फोटो नियुक्ति पत्र पर प्रिंट कर दी गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट doitc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

- **अभ्यर्थी की श्रेणी का सत्यापन** – आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं परिस्थितियों में देय होगा जब अभ्यर्थी द्वारा उस श्रेणी के उचित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हो।

- **यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय श्रेणी के अंकन में कोई त्रुटि कर दी थी तो उसे सुधार हेतु विभाग द्वारा दो बार अवसर प्रदान किये गये थे। इस संशोधन के पश्चात अंतिम रूप से अंकित श्रेणी के आधार पर वरियता सूची तैयार की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में अंकित श्रेणी से दस्तावेज सत्यापन के समय कोई भिन्नता पाई जाती है तो इस संबंध में प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित किया जावें।**

सत्यापन की प्रक्रिया–

- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूपों के अनुसार) –
  - ✓ दस्तावेज सत्यापन फार्म – दो प्रतियाँ
  - ✓ पुलिस चरित्र सत्यापन फार्म – दो प्रतियाँ
  - ✓ घोषणा पत्र

- अभ्यर्थी का सत्यापन –
  - ✓ फॉर्म पर चस्पा अभ्यर्थी की फोटो का आवेदन के समय अपलोड की गई फोटो से पुष्टि करना (आवेदन करते समय चस्पा की गई फोटो विभागीय वेबसाइट doitc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।)
  - ✓ सुनिश्चित करना कि अभ्यर्थी की फोटो नियुक्ति पत्र पर प्रिंट की गई है।

✓ **Documentation (Notesheet)**

नोट– यदि फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जावे तो प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को प्रेषित करें।

सत्यापित किये जाने वाले दस्तावेजों की विवरण –

- **अंकतालिका–** मैट्रिक / हाई स्कूल / सैकण्डरी
- **प्रमाणपत्र–** मैट्रिक / हाई स्कूल / सेकण्डरी
- **अंकतालिका–** हायर सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी / इन्टरमीडिएट
- **अंकतालिका–** स्नातक
- **उपाधि / प्रमाणपत्र–** स्नातक
- **अंकतालिका–** उपाधि / अधिस्नातक
- **डिप्लोमा उपाधि / प्रमाणपत्र–**
- **शपथ पत्र प्रारूप –4**
- बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र प्रारूप – 5
- दहेज संबंध में घोषणा पत्र प्रारूप – 6
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- वर्ग / श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र
- मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र
- अन्तिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
- 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र
- पुलिस चरित्र सत्यापन प्रारूप

अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के दो सेट (स्वहस्ताक्षरित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित) एवं मूल दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन हेतु साथ लावें।

प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश

- **जाति प्रमाण–पत्र व मूल–निवास प्रमाण–पत्र :–**
- विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी का लाभ केवल राजस्थान राज्य की मूल निवासी को दिया जाता है, अन्य अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करें।
- यदि किसी अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन चुकी है और वह आरक्षित श्रेणी में आती है, तो उसे राजस्थान राज्य के मूल निवास के अतिरिक्त यह भी साक्ष्य प्रत्तुत करना होगा कि उसकी जाति दोनों राज्यों में समान रूप से आरक्षित श्रेणी में आती है। यदि उसके विवाहपूर्व या जन्म के मूल राज्य में उसकी जाति आरक्षित श्रेणी में नहीं थी, तो उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- विवाहित महिला अभ्यर्थी को उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र धारित करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। जो अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग में नॉन–क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं, वे भी ध्यान दें कि उनका प्रमाणपत्र–
  - नवीनतम हो और आवेदन की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी उस वर्ग में आता हो।
  - नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी हो।
  - सक्षम अधिकारी द्वारा **निर्धारित प्रपत्र** पर जारी किया हुआ हो।
- यदि अभ्यर्थी **जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) क्षेत्र की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति** से संबंधित है, तो यह सुनिश्चित कर ले कि वस्तुतः वह इसी क्षेत्र का मूल निवासी है।

प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश

- जो आवेदक राजस्थान की किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें– (जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो)–
    - District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. *(not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate)*.
    - Chief presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
    - Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
    - Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
    - Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadeep Island).
- **निःशक्तता प्रमाण–पत्रः–** निःशक्त आवेदक (Disabled Person) की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त **40**: या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण–पत्र होना चाहिए। –
- **विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र** :– विवाहितं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण होना चाहिए। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित उसका शपथपत्र होना चाहिए।
- **आयु का प्रमाण–पत्रः–** आयोग द्वारा हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म दिनांक को ही स्वीकार किया जाता है।
- **सेवारत अभ्यर्थीगण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र –** अभ्यर्थी यदि सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों तो वे अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति का प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्रस्तुत करें ।
- **एन.सी.सी. प्रशिक्षक व प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण हेतु प्रमाण–पत्रः–** कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर्स) को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. व प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण वरीयता का प्रावधान है जिसमें योग्यताधारक को **सी–सर्टिफिकेट** धारक होना आवश्यक है।

दस्तावेजों का सत्यापन Contd.-

A. अभ्यर्थी की श्रेणी (Category) का सत्यापन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें–

1. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का है तो श्रेणी के सत्यापन हेतु जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।
2. O.B.C. Non Creamy layer का प्रमाण पत्र जो 6 माह की अवधि का है। (जो 26. 10.2012 के पश्चात का हो)
3. विधवा/परित्यकता प्रमाण पत्र/कोर्ट की डिक्री
4. खिलाड़ी है तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने का प्रमाण पत्र
5. विकलांगता संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों का सत्यापन Contd.-

B. अभ्यर्थी की आयु (Age) के संबंध में पात्रता

आयु निर्धारण –

1. आयु 21–35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
2. 01-01-2014 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण किया होना ।
3. अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01-01-1993 के बाद का तथा 01-01-1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

आयु में छूट :–

- गत 1 वर्ष तक भर्ती नहीं होने के कारण सभी सामान्य श्रेणी वाले 01–01–1978 के बाद जन्में व योग्यता पूर्ण करने वाले सभी पात्र।
- SC/ST/OBC/SBC पुरुष 01–01–1974 के बाद जन्में व योग्यता पूर्ण करने वाले सभी पात्र।
- SC/ST/OBC/SBC महिला 01–01–1969 के बाद जन्में व योग्यता पूर्ण करने वाले सभी पात्र।
- सामान्य *महिला 01–01–1974 के* बाद जन्मीं व योग्यता पूर्ण करने वाली सभी पात्र।

B. अभ्यर्थी की आयु (Age) का सत्यापन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें– Contd.-

- भूतपूर्व कैदी के मामले में कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी बशर्ते वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
- एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी
- राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे अभ्यर्थियों का जन्म 01.01.1969 से पूर्व का नही होना चाहिए।

- ***विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।***

▪विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की आयु निर्धारण–

- सामान्य वर्ग के विशेष योग्यजन अभ्यर्थी का जन्म 01.01.1969 से पूर्व का नही होना चाहिए।
- अ.जा./अ.ज.जा. के विशेष योग्यजन अभ्यर्थी का जन्म 01.01.1964 से पूर्व का नही होना चाहिए।
- पिछड़ा /विशेष पिछड़ा वर्ग के विशेष योग्यजन अभ्यर्थी का जन्म 01.01.1966 से पूर्व का नही होना चाहिए।

दस्तावेजों का सत्यापन Contd.-

C. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता –

शैक्षणिक योग्यता–

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियंत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान और अभियंत्रिकी या इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य।

अथवा

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलीटेकनीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलीटेकनीक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियंत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

अथवा

3. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

अथवा

4. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं)/डीओईसीसी (डोएक) द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

अथवा

दस्तावेजों का सत्यापन Contd.-

5. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

और

तकनीकी योग्यता –

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।

धन्यवाद!